

विकास विभाग

पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि., रायपुर छ.ग.



पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ०ग०)

// निविदा सूचना //

विश्वविद्यालय की पुरानी उत्तर-पुस्तिकाएँ एवं रद्दी कागज विक्रय संबंधी निविदा।


क्र. 265/विकास/2021

रायपुर, दिनांक 07/06/2021

विश्वविद्यालय की पुरानी उत्तर-पुस्तिकाएँ, रद्दी कागज, लिफाफे, पैकिंग मटेरियल, बैठन की रद्दी, 'जहाँ है जैसा है' विक्रय हेतु निविदा स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सीलबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। विश्वविद्यालय के विकास विभाग में आवेदन के साथ निविदा फर्म की राशि रु.1000.00 का भुगतान कर कार्यालयीन दिवस में निविदा फार्म प्राप्त कर सकते हैं। निविदा के साथ अमानत राशि रु.30,000.00 (तीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur के नाम से संलग्न करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के विकास विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

निविदा प्रपत्र विक्रय स्थल	-	विकास विभाग, पं.रविशंकर शुक्ल वि०वि०, रायपुर
निविदा विक्रय की अंतिम तिथि	-	दिनांक 25/06/2021 अपरान्ह 03:00 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	-	दिनांक 28/06/2021 सायं 05:00 बजे तक (रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट द्वारा मान्य)
निविदा खोलने की तिथि	-	दिनांक 29/06/2021 अपरान्ह 03:00 बजे
निविदा खोलने का स्थान	-	कुलपति सभागार, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर

टीप:- www.prsu.ac.in वेबसाइट से प्राप्त निविदा प्रपत्र रु.1000.00 के बैंक ड्राफ्ट संलग्न करने पर ही मान्य होगा।


कुलसचिव

फार्म नं.

विकास विभाग
१. रविशंकर शुक्ल वि. वि., रायपुर छ.ग.

रसीद क्रं.

दिनांक

फार्म का मूल्य रु.1000=00



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग)
विकास विभाग

// रद्दी कागज विक्रय हेतु निविदा प्रपत्र //

प्रति,

कुलसचिव
पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ० ग०)

महोदय,

मैं व्यवस्थापक (फर्म का नाम) स्थान एवं पूर्ण पता पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा विज्ञापित रद्दी कागज के विक्रय हेतु नीचे लिखे अनुसार दर प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। रद्दी कय हेतु निविदा प्रपत्र लेने के पूर्व मैंने कागज का नमूना एवं मात्रा का भली-भाँति अवलोकन कर लिया है तथा आपके द्वारा प्रस्तावित सभी शर्तें मुझे मान्य हैं।

क्र०	रद्दी कागजों का विवरण	दर (प्रति कि.ग्रा.)
01.	पुरानी उत्तर-पुस्तिकाएँ	रु०
02.	रद्दी कागज (पुराने प्रश्न-पत्र, परीक्षा फॉर्म, पुराने अखबार, पुस्तक एवं पत्रिका)	रु०
03.	लिफाफे, पैकिंग मटेरियल, बैठन की रद्दी	रु०

टीप :- मैंने पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में अमानत राशि रु० 30,000.00 (रु० तीस हजार मात्र) विश्वविद्यालय रसीद क्रमांक दिनांक के द्वारा नगद/बैंक ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक के द्वारा जमा करा दिया है।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

फर्म का नाम

एवं पता

फोन/मोबाईल नं०

(फर्म का सील)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
 विकास विभाग

नियम एवं शर्तें -

01. संबंधित फर्म द्वारा सुरक्षा निधि (EMD) रु.30,000=00 (तीस हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के नाम से तैयार कर संलग्न करना होगा।
02. संबंधित फर्म द्वारा जीएसटी नंबर एवं पैन नंबर का संबंधी पत्र की छायाप्रति/फोटोकापी जमा करना अनिवार्य है।
03. संबंधित फर्म को रद्दी कय करने के संबंध में छ.ग. के शासकीय विभाग के रद्दी कय का अनुभव यदि हो तो संलग्न करें।
04. संबंधित फर्म का पिछले तीन वर्षों में कमश वर्ष 2017-2018, 2018-2019 एवं 2019-2020 का इनकम टैक्स रिटर्न की छायाप्रति/फोटोकापी लगाना अनिवार्य है।
05. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र 02 लिफाफे क्रमशः "अ"(टेक्निकल बीड) एवं "ब" (फायनेंसियल बीड) में प्रस्तुत करना होगा, लिफाफा "अ" में टेक्निकल बीड जिसमें चाही गई दस्तावेज तथा सुरक्षा निधि का डिमांड ड्राफ्ट जो कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के नाम से देय होगा संलग्न करना अनिवार्य होगा। तदनुसार लिफाफे के ऊपर लिखा जाएगा। लिफाफा "ब" में फाइनेंसियल बीड जिसमें प्रत्येक प्रकार की रद्दी की दरें, पृथक-पृथक दर्शित होगी, प्रस्तुत करना होगा। इन दो "अ" एवं "ब" लिफाफो को एक लिफाफे जिसमें "पुरानी उत्तर-पुस्तिकाएँ एवं रद्दी कागज विक्रय संबंधी निविदा प्रपत्र" लिखा हो उसे भीतर रखकर प्रस्तुत करना होगा। सर्वप्रथम टेक्निकल बीड वाला लिफाफा अ खोला जावेगा। आवश्यक दस्तावेज सही पाये जाने पर ही निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत फायनेंसियल बीड वाला लिफाफा "ब" खोला जावेगा अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा।
06. दर स्वीकृत होने के पश्चात् रु० पचास के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा तथा किए गए अनुबंध के अनुसार ही रद्दी उठाने की कार्यवाही की जावेगी। अनुबंध एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
07. रद्दी बेचने से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही विश्वविद्यालय के विक्रय नियम के अनुसार गठित समिति के नियंत्रण में की जाएगी।
08. स्वीकृत दर के अनुसार संपूर्ण रद्दी उठाने के बाद ही फर्म को अमानत राशि वापस की जाएगी।
09. ट्रक में रद्दी भरवाने के पूर्व फर्म को अनुमानित राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा करना होगा।
10. अनुबंध की तिथि से 30 दिन के अंदर सम्पूर्ण रद्दी "जहाँ है, वहाँ से" उठाना होगा।

फार्म नं.

विकास विभाग

पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि., रायपुर छ.ग.

रसीद क्रं.

दिनांक

फार्म का मूल्य रू.1000=00



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
विकास विभाग

11. वि.वि. द्वारा विक्रय हेतु उपलब्ध कराये गये रद्दी कागज (दस्तावेज) किसी भी बाहरी व्यक्ति के पास पाये जाने पर संबंधित फर्म के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करते हुए किये गये अनुबंध को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जावेगा।
12. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में कुलपति जी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय निकाय रायपुर न्यायालय होगा।

कुलसचिव
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

फार्म नं.

विकास विभाग

पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि., रायपुर छ.ग.

रसीद क्रं.

दिनांक

फार्म का मूल्य रु.1000=00



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
विकास विभाग

// घोषणा-पत्र //

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से कय किए गए पुरानी उत्तर-पुस्तिकाएँ, रद्दी कागज, लिफाफे, पैकिंग मटेरियल एवं बैठन की रद्दी मिल में (मिल का नाम) प्रदाय कर पल्प बनाने की घोषणा करता हूँ। रद्दी खरीदने के उपरान्त उसका उपयोग केवल लुगदी तैयार करने हेतु किया जावेगा।

हस्ताक्षर

फर्म का नाम

एवं पता

फोन/मोबाईल नं०

(फर्म का सील)